न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर

बनाम

अभियुक्त

श्री भवानी सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री नारायण सिंह
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक),
मैसर्स श्री जोधपुर स्वीटस्, सरजावाव गेट के बाहर, सदर बाजार, सिरोही
निवासी- गली नम्बर- 4, टांकरिया, सिरोही

प्रकरण संख्याः 03/2018

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थितिः

अभियुक्त भवानी सिंह राजपुरोहित

-: निर्णय :- दिनांक 20 जून, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 16.10.2017 को समय 8.00 ए.एम. पर आवेदक विजयकांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर ने बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौरानें गश्त मैसर्स श्री जोधपुर स्वीटस्, सरजावाव गेट के बाहर, सदर बाजार, सिरोही के गोदाम गली नं. 4, टांकरिया, सिरोही पर पॅहुचा व अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। गोदाम में विक्रेता की हैसियत से श्री भवानी सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री नारायण सिंह राजपुरोहित उपस्थित थे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गोदाम का निरीक्षण करने पर स्टील की पांच ट्रे में खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित प्रोपराईटरी मिठाई) आम जनता को विक्रय वास्ते निर्माण कर कब्जे में रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एंवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता को भरकर दी व प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है, जो मूल ही संलग्न है। गवाहान के समक्ष विक्रेता को उसके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रुपये 560/- नकद देकर दो किलोग्राम कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित प्रोपराईटरी मिठाई) को साफ सूखी खाली स्टील की ट्रे में खरीदा एवं रुपयो की रसीद प्राप्त की, जिस पर मेरे विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर है, जो मूल ही संलग्न है। विक्रेता व गवाहान के समक्ष उक्त खरीदशुदा कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित प्रोपराईटरी मिठाई) को चार

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

साफ, सूखी, खाली चौडे मुंह की प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर बराबर भरकर 40-40 बूंद फॉर्मेलीन डालकर शीशीयों के मुंह को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया व मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर के कोड एवं क्रमांक AD-662, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ आदि का नाम अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान व मैनें हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारो नमूना भागों को रेपर में लपेटकर अलग अलग कागज में रखकर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. AD-662 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लीप को क्रोस करते हुए विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता, गवाहान व मैनें हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फिर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया था। चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से लिफाफे में बंद कर गोंद से चिपकाकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा श्री बाबुलाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा दिनांक 17.10.2017 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 17.10.2017 को मेरे द्वारा शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 को अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर के पत्र क्रमांक 1084-85 दिनांक 06.12.2017 के संलग्न खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:एलएस/1091/एक्ट/2017/1091 दिनांक 17.11.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित प्रोपराईटरी मिठाई) का नमूना AD-662 अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित प्रोपराईटरी मिठाई) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियुक्त

....पेज तीन पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

स्वयं उपस्थित हुआ। प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत सुनवाई दिनांक 20.6.2018 को अभियुक्त भवानी सिंह राजपुरोहित ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया! अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि दिनांक 16.10.2017 को सिरोही में मेरे दुकान के गोदाम से श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कलाकन्द का नमूना लिया था जो जांच में अमानक पाया गया है। उक्त कलाकन्द मैनें अन्य से खरीदा था। भविष्य में अच्छी व शुद्ध गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री का विक्रय करुंगा एव ऐसी गलती नही करुंगा। मेरा जुर्म स्वीकार करता हूँ। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का आज ही निस्तारण किया जावे।

(3) प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत तिथि 20.6.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये तथा अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से अभियुक्त को सुना गया। अभियुक्त ने यह व्यक्त किया कि उसके द्वारा कलाकन्द में कोई मिलावट नही की है, भविष्य में अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री का विक्रय करुंगा। अतः कम से कम जुर्माना किया जावे।

(4) प्रकरण में न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि आवेदक श्री विजय कांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.10.2017 को समय 8.00 ए. एम. पर दौरानें गश्त चैकिंग मैसर्स श्री जोधपुर स्वीटस्, सरजावाव गेट के बाहर, सदर बाजार, सिरोही के गोदाम गली नं. 4, टांकरिया, सिरोही पर गये। गोदाम में मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से श्री भवानी सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी- गली नंबर 4, टांकरिया, सिरोही उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गोदाम का निरीक्षण करने पर स्टील की पांच ट्रे में खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित प्रोपराईटरी मिठाई) आम जनता को विक्रय वास्ते निर्माण कर कब्जे में रखा हुआ था। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित प्रोपराईटरी मिठाई) का निरीक्षण करने पर कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित प्रोपराईटरी मिठाई) में मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना विक्रेता भवानीसिंह राजपुरोहित को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गवाहान के समक्ष विक्रेता भवानी सिंह राजपुरोहित को बाजार भाव से राशि रुपये 560/- (अक्षरे रुपये पांच सौ साठ मात्र) नकद अदा कर 2 (दो) किलोग्राम कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित प्रोपराईटरी मिठाई) को हिला मिलाकर एक रुप करके एक साफ सुखी खाली स्टील की ट्रे में खरीदा एवं रुपयों की रसीद प्राप्त की। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद एवं बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता भवानी सिंह राजपुरोहित, गवाह श्री प्रवीण कुमार, न्यू बस स्टेण्ड के पीछे, बाबा रामदेव मंदिर के पास, गली नं0 3 सिरोही तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व उक्त गवाहान के समक्ष उक्त खरीदशुदा कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित प्रोपराईटरी मिठाई)

.....पेज चार पर

प्रति. निशा अधिवक्ता
सिरोही-307001

को चार भागों में बराबर-बराबर कर 4 साफ सूखी खाली चौडे मुंह की प्लास्टिक की शीशीयों में भरकर प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंदे फॉर्मेलीन की डालकर शीशीयों के मुंह को ढ़ककन से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर के कोड एवं क्रमांक AD-662, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप AD-662 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व उक्त गवाहान के पेपर स्लिप क्रोस करते हुए हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विक्रेता भवानी सिंह राजपुरोहित से खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित प्रोपराईटरी मिठाई) का नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर लिफाफे को सील चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.10.2017 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबुलाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 17.10.2017 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर- 6 को अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित प्रोपराईटरी मिठाई) के नमूना संख्या AD-662 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1091/Act/2017/1091 दिनांक 17.11.2017 के अनुसार आवेदक

....पेज पांच पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता भवानी सिंह राजपुरोहित से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित प्रोपराईटरी मिठाई) अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त भवानी सिंह राजपुरोहित द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) का खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित प्रोपराईटरी मिठाई) का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अभियुक्त भवानी सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री नारायण सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स श्री जोधपुर स्वीटस्, सरजावाव गेट के बाहर, सदर बाजार, सिरोही, निवासी- गली नम्बर- 4, टांकरिया, सिरोही पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त अभियुक्त भवानी सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री नारायण सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स श्री जोधपुर स्वीटस्, सरजावाव गेट के बाहर, सिरोही, निवासी- गली नम्बर- 4, टांकरिया, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

20.6.18

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही